



छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन, सेक्टर 19, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला - रायपुर 492002

दूरभाष : 0771-2880911, 2880912, वेबसाइट : www.cgsec.gov.in, ई-मेल : cgec.cg@nic.in

: : संशोधित आदेश : :

क्र. एफ-35-01/तीन(एक)-1/पंचा.निर्वा./निर्वा.नामा./2024/2852-नवा रायपुर,दिनांक / /2024

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 42 एवम् छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 9 से 12 तथा 14 से 15-क की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग एतद् द्वारा प्रदेश की विकास खंडवार समस्त पंचायतों का त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2024-2025 कराये जाने फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए पूर्व में जारी कार्यक्रम (समय-अनुसूची) क्र. 1549 दिनांक 10.09.2024, क्र. 2071 दिनांक 05.11.2024, 2048 दिनांक 25.10.2024 एवं 2152 दिनांक 13.11.2024 में संशोधन करते हुए 1 जनवरी, 2025 के प्रतिनिर्देश से निम्नानुसार कार्यक्रम (समय-अनुसूची) निर्धारित करता है :-

निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्यक्रम (समय-अनुसूची)

द्वितीय चरण		
12.	निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन एवं दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना	31.12.2024 मंगलवार से
13.	दावे/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख व समय	06.01.2025 सोमवार समय अपरान्ह 3.00 बजे तक
14.	दावे/आपत्तियों का निपटारे की अंतिम तारीख	09.01.2025 गुरुवार
15.	प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	10.01.2025 शुक्रवार
16.	प्ररूप क-1 में प्राप्त दावा का निराकरण करने की अंतिम तिथि	11.01.2025 शनिवार
17.	दावे/आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरुद्ध अपील करने की अंतिम तारीख	निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर
18.	परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करना	14.01.2025 मंगलवार तक
19.	चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पी.डी.एफ. मुद्रण हेतु जिला कार्यालय को सौंपना	
20.	अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्न करना	
21.	निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन	15.01.2025 बुधवार

(मा. राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र मुरे)

सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
नवा रायपुर अटल नगर

पृ.क्र. एफ-35-01/तीन(एक)-1/पंचा.निर्वा./निर्वा.नामा./2024/2853-नवा रायपुर,दिनांक 27/12/2024
प्रतिलिपि:-

- मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ।
- राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ।

3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ।
6. संभाग आयुक्त, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/सरगुजा (अंबिकापुर)/बस्तर (जगदलपुर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. संचालक, जनसम्पर्क, रायपुर को सूचनार्थ।
8. संचालक, पंचायत संचालनालय, विकास भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला समस्त (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया समय-अनुसूची में निर्धारित तिथि अनुसार की गई कार्यवाही की जानकारी आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. उपसचिव (नगरपालिका/पंचायत)/अवरसचिव(नगरपालिका/पंचायत)/मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/अनुभाग अधिकारी (नगरपालिका/पंचायत)/निज सचिव एवं समस्त शाखा प्रभारी छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सहायक प्रोग्रामर, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, नवा रायपुर, अटल नगर को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
12. गार्ड फाईल।

(डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे)
सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
नवा रायपुर अटल नगर



छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन, सेक्टर 19, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला - रायपुर 492002

दूरभाष : 0771-2880911, 2880912, वेबसाइट : www.cgsec.gov.in, ई-मेल : cgsec.cg@nic.in

क्र. एफ-35-01/तीन(एक)-1/पंचा.निर्वा./निर्वा.नामा./2024 | 2854 नवा रायपुर, दिनांक 27/12/2024
प्रति,

कलेक्टर सह
जिला निर्वाचन अधिकारी,
(स्थानीय निर्वाचन)
जिला-समस्त (छ.ग.)

विषय:-01 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण हेतु प्रक्रिया के संबंध में।

संदर्भ:-(1) राज्य निर्वाचन आयोग का पत्र क्र. 1551 दिनांक 10.09.2024 एवं आदेश क्रमांक 1549 दिनांक 10.09.2024, 2048 दिनांक 25.10.2024, 2071 दिनांक 05.11.2024 तथा 2152 दिनांक 13.11.2024।
(2) छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 767 दिनांक 04 दिसम्बर, 2024

—00—

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 767 दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 के माध्यम से छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 में संशोधन किया गया है, सुलभ संदर्भ हेतु राजपत्र की छायाप्रति संलग्न है, कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली तैयार किये जाने समय अनुसूची संबंधी आदेश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 5 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 (यथा संशोधित) के नियम 9 (ख) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो ग्राम से संबंधित विधानसभा की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए अर्हित है या जिसका नाम उसमें प्रविष्ट है, ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए हकदार होगा। उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधानसभा की अद्यतन निर्वाचक नामावली में दर्ज मतदाताओं के नाम ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली में दर्ज किया जाना है। संशोधित नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ग्राम पंचायतों के निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पूर्व स्वप्रेरणा सेपात्र मतदाताओं के नाम दर्ज करने का आदेश कर सकेगा। उपरोक्त संदर्भ में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं:-

1. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विधानसभा की निर्वाचक नामावली की अद्यतन सूची में 01 जनवरी 2025 की स्थिति में पात्र (18 वर्ष पूर्ण कर चुके) सभी मतदाताओं की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से ग्राम पंचायतवार विभाजित कर समस्त प्राधिकृत कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जावेगी।
2. जिला निर्वाचन अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से प्राधिकृत कर्मचारियों को पर्याप्त संख्या में विहित दावा प्ररूप (क/क-1) उपलब्ध करावें, ताकि वे सभी पात्र व्यक्तियों को दावा फार्म / प्ररूप उपलब्ध करा सकें।
3. प्राधिकृत कर्मचारियों को निर्देशित किया जावे कि विशेष सघन अभियान चलाकर सभी पात्र निर्वाचकों अर्थात् 1 जनवरी, 2025 की स्थिति में विधानसभा की निर्वाचक नामावली में दर्ज निर्वाचकों के नाम ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में दर्ज करने हेतु मतदाताओं से संपर्क कर उनको मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करें।

01 अक्टूबर 2024 की स्थिति में अंतिम प्रकाशित निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया जावेगा तथा 1 अक्टूबर 2024 की स्थिति में अंतिम प्रकाशित निर्वाचक नामावली का मुद्रण पूर्व में करा लिया गया होगा और पुनः इसके मुद्रण की आवश्यकता नहीं होगी। केवल 01 जनवरी 2025 की स्थिति में विधानसभा की निर्वाचक नामावली में दर्ज मतदाताओं में से छूटे हुए मतदाताओं को ही ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली में दर्ज किया जाना है और इस प्रकार मतदाताओं को दर्ज किये जाने पर तैयार अनुपूरक सूची की पी.डी.एफ. की जांच रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जावेगी तथा पी.डी.एफ. की जांच उपरांत त्रुटिरहित पी.डी.एफ. को अंतिम मुद्रण हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित किया जावे।

4. प्राधिकृत कर्मचारी एवं स्थानीय स्तर पर शासन के कर्मचारी यथा सचिव ग्राम पंचायत, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका, कोटवार, पटवारी आदि का दल गठन कर बिन्दु क्रमांक 3 की कार्यवाही संपादित कराई जावे।

5. ग्राम पंचायतों में, वार्डों में औसतन 100 मतदाता दर्ज होते हैं अतः पात्र मतदाताओं को वार्डों की सीमाओं तथा उनके निवास स्थान के वार्ड की जानकारी उपलब्ध कराई जावे ताकि मतदाता नियत वार्ड के लिये ही आवेदन प्रस्तुत कर सके। चूंकि वार्डों में मतदाताओं की संख्या कम है अतः स्वप्रेरणा से कार्यवाही करते समय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आवश्यक रूप से पात्र मतदाता के वार्ड का निर्धारण करें तथा ऐसी कार्यवाही में संबंधित मतदाता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर अवश्य प्रदान किया जावे।

6. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दावा/आपत्ति प्राप्त करने हेतु जनप्रतिनिधियों/राजनैतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा रखते हुए चयनित स्थलों तथा निर्धारित समयावधि के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जावे ताकि पात्र व्यक्तियों को दावा आवेदन प्रस्तुत करने में कोई असुविधा न हो।

7. यद्यपि निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण सावधानीपूर्वक किया जावेगा तथा किसी पात्र निर्वाचक का नाम छूटने की संभावना नहीं है तथापि यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आये कि किसी पात्र व्यक्ति का नाम संबंधित वार्ड की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं हो पाया है, तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्वप्रेरणा से ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कर सकता है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 15-क में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किया जाना प्रावधानित है। नियम 15-क अंतर्गत स्वप्रेरणा से निर्वाचक नामावली में पात्र व्यक्तियों का नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन किया जावे :-

(i) किन्हीं कारणों से पात्र मतदाताओं के नामों को निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं किया जा सका है, तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ऐसे मतदाताओं को स्वप्रेरणा से गहन जांच उपरांत ग्राम पंचायत के वार्डों की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज किया जा सकेगा।

(ii) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा गहन जांच एवं व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने उपरांत पूर्णतः संतुष्ट होने पर स्वप्रेरणा से निर्वाचक नामावली में परिवर्धन की कार्यवाही की जा सकेगी।

(iii) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से किसी प्रविष्टि का परिवर्धन करने के संबंध में लिये गये निर्णय के कारणों को अभिलिखित किया जावे और किसी व्यक्ति द्वारा मांग करने पर, ऐसे निर्णय की एक प्रति तत्काल निःशुल्क उपलब्ध कराई जावेगी।

(iv) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने विनिश्चय में यह भी उल्लेख किया जावेगा कि व्यथित व्यक्ति ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध छत्तीसगढ़ पंचायतनिर्वाचन नियम, 1995 के नियम 12(5) के अनुसार निर्धारित अवधि में अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा।

(v) अपील प्राधिकारी द्वारा संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने और समुचित जांच करने के पश्चात् अपील पर उपयुक्त आदेश पारित किया जावे तथा इस संबंध में अपील प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा।

8. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे (क/क-1) के निपटारे के पश्चात् नियमानुसार अनुपूरक सूची तैयार कराई जावेगी। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि कर तैयार अनुपूरक सूची के पी.डी.एफ. की सूक्ष्मता से जांच की जावेगी।

9. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा पी.डी.एफ. की जांच उपरांत यदि संशोधन हो तो संशोधन कर त्रुटिरहित पी.डी.एफ. को अंतिम मुद्रण हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित करेगा।

10. जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्राधिकृत कर्मचारी तथा निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु सहयोग कर रहे अन्य अधिकारी/कर्मचारी / व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि निर्वाचक नामावली आदि तैयार करने के संबंध में पदीय कर्तव्यों का उल्लंघन किये जाने पर छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 9(4) में एवं मिथ्या घोषणाएं किये जाने पर छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 9 (क) में कारावास तथा जुर्माने के दण्ड का प्रावधान है।

11. जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा अन्य अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इस निर्देश में वर्णित समस्त संशोधनों / नियमों का गहनता से अध्ययन करने के उपरांत पूर्ण सावधानी से पुनरीक्षण की कार्यवाही संपादित की जावे, ताकि शुद्ध एवं त्रुटिरहित निर्वाचक नामावली तैयार की जा सके।
(भा. राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा अनुमोदित)



सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
दलनवा रायपुर अटल नगर